मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : mdmpsamb@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/पार्ट-03/1216 भोपाल दिनांक 16 अगस्त 2019

प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक,
   म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)

2. सचिव,
   कृषि उपज मण्डी समिति,
   .... जिला ....

विषय :–ई–अनुज्ञा के कियान्वयन हेतु मण्डी समितियों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखे जाने के संबंध में।
संदर्भ :–कार्या.आदेश क./बी–5/2/ई–अनुज्ञा(ऑ.ला.)/19–20/पार्ट–1/1030–1031 दिनांक 29.06.2018।

–0–

संदर्भित आदेश द्वारा ई–अनुज्ञा अन्तर्गत मंडी समितियों में निर्धारित संख्या में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रयोजन हेतु अतिरिक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने के लियें प्रबंध संचालक की पूर्व अनुमति ली जाना आवश्यक है। मंडी समितियों से प्राप्त पत्रों के आधार पर उक्त आदेश पर निम्न संशोधन किया जाता है।

ई–अनुज्ञा अंतर्गत मंडी समितियों में मुख्यालय द्वारा संदर्भित आदेश में निर्धारित अधिकतम संख्या या वास्तविक रुप से रखे गये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर इसमें जो भी कम हो, के परिश्रमिक का मंडी निधि से संदर्भित आदेश में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नियत अवधि तक का भुगतान अनुबंधित ऐजेंसी को नियमानुसार समस्त औपचारिकताऍ पूर्ण करते हुए करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः संदर्भित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आंचलिक संयुक्त/उप संचालकों को उनके संभाग की मण्डियों में ई–अनुज्ञा के सुचारु संचालन के लिये कार्यभार की समीक्षा कर अतिरिक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है। आंचलिक संयुक्त/उप संचालकों द्वारा उक्त प्रयोजन के लिये मण्डी सचिव के प्रस्ताव का सूक्ष्म आकंलन करने के पश्चात् लेखबध्य किये गये कारणों के आधार पर निम्न शर्तों के अनुसार अतिरिक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मण्डी बोर्ड द्वारा अनुबंधित एवं संबंधित संभाग के लिये अधिकृत एजेंसी से रखने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

1. मण्डियों में आवक, व्यापारी द्वारा कय उपरांत प्राप्त उपजवार भुगतान पत्रों के आधार पर प्रति ऑपरेटर न्यूनतम 200 भुगतान संव्यवहारों की प्रतिदिन प्रविष्टि के मान से आंकलन किया जाये।
2. व्यापारी द्वारा चाही गई अनुज्ञा एवं प्राप्त भुगतान पत्रक की साप्ताहिक समीक्षा की जाकर ही वृद्धि/कमी होने की स्थिति के आधार पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की संख्या में युक्तियुक्त कमी अथवा वृद्धि की जावे।
3. मण्डी में पदस्थ स्टॉफ, मंडी की वित्तीय स्थिति एवं क्षमता का आंकलन कर ऑपरेटरों की संख्या का निर्धारण किया जावें।

उपरोक्त निर्धारित शर्तों के अनुसार आंचलिक संयुक्त/उप संचालक द्वारा ई–अनुज्ञा अंतर्गत अतिरिक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने अथवा हटाने की लिखित जानकारी संयुक्त संचालक ई–अनुज्ञा शाखा, मुख्यालय को अनिवार्यतः भेजना सुनिश्चित किया जायेगा। संभाग की मण्डियों में अतिरिक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने की मण्डीवार जानकारी का रिकार्ड आंचलिक कार्यालय स्तर पर भी संधारित किया जावेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

16/08/19

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2018–19/पार्ट 03/1217 भोपाल दिनांक 16 अगस्त 2019

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(02) अपर संचालक (वित्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(03) संयुक्त/उप संचालक (समस्त), आंचलिक कार्यालय, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(04) संबंधित अधिकृत ऐजेन्सी .... की ओर पालनार्थ।

16/8/19

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2018/पार्ट–1/1030 भोपाल, दिनांक 29/06/2018

–:: आदेश ::–

1/ म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड अन्तर्गत प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में विभिन्न कार्य योजना जैसेः ई–(मंडी) अनुज्ञा पत्र मॉड्यूल के ऑनलाईन कियान्वयन एवं ई–मंडी गतिविधि मॉडयूल के पायलेट संचालन, ई–नेम तथा एग्मार्क नेट मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, विभिन्न फसलो के उर्पाजन एवं भावांतरं आदि योजनाओ के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियो/आंचलिक कार्यालयों में उनके नाम के सम्मुख दर्शित संख्या के आधार पर मैनपॉवर (डाटा एंट्री ऑपरेटर) की सेवा ठेके पर ली जाने संबंधी बोर्ड प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया है :–

क.	स्थापना/कार्यलय का नाम	अधिकतम डाटा ऐंट्री ऑपरेटरो की संख्या
1	'अ' वर्ग की मंडी के लिये	05
2.	'ब' वर्ग की मंडी के लिये	04
3.	'स' वर्ग की मंडी के लिये	03
4.	'द' वर्ग की मंडी के लिये	02
5.	मंडी बोर्ड के प्रत्येक आंचलिक कार्यालयो के लिये	02

2/ उपरोक्तानुसार मानव संसाधन डाटा एंट्री ऑपरेटरो की सेवा ठेके पर लेने हेतु म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल द्वारा पूर्व से भावांतर भुगतान योजना एवं अन्य कार्य के लिये निम्नानुसार तीन ऐजेन्सियो को चयनित कर 03 वर्ष के लिये अनुबंधित कर उनके नाम के सम्मुख दर्शित आवंटित संभाग एवं संभाग अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियो में मेनपावर (डाटा एंट्री ऑपरेटरो) की सेवा ठेके पर उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किये गये है :–

क	ऐजेन्सी/संस्था का नाम	संभाग का नाम
1	मेसर्स थर्ड आई सिक्योरिटी सर्विसेस प्रा.लि. इंदौर (म.प्र.)	1. उज्जैन 2. जबलपुर 3. सागर
2.	मेसर्स प्राइमवन वर्क फोर्स प्रा.लि. भोपाल	1. इंदौर 2. ग्वालियर 3. रीवा
3.	मेसर्स कृष्णा सिक्योरिटी एंड लेबर सर्विसेस भोपाल	1. भोपाल

3/ उल्लेखित अन्य योजनाओ एवं कार्यो के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार शर्तो एवं मापदण्ड, अनुसार अधिकृत तीनो ऐजेन्सियो से उपर कंडिका–01 में दर्शायी गई संख्या के आधार पर म.प्र.श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित उच्च कुशल दर पर पारिश्रमिक, पूर्व से नियत अनुसार सेवा प्रभार तथा नियमानुसार जी.एस.टी./सी.एस.टी. आदि का भुगतान के तहत, दिनॉक 01.07.2018 से मानव संसाधन (डाटा एंट्री ऑपरेटर) की सेवा ठेके पर लेने का निर्णय लिया जाता है :–

1–इन तीनो अनुबंधित ऐजेन्सीयो को, प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियो में उल्लेखित कार्यो के कियान्वयन हेतु ठेके पर लिये गये मानव संसाधन (डाटा एंट्री ऑपरेटर) के पारिश्रमिक, सेवा प्रभार तथा जी.एस.टी./सी.एस.टी. आदि का भुगतान, संबंधित कृषि उपज मंडी समितियॉ द्वारा स्वयं ही अपनी मण्डी निधि (कान्टीजेन्सी फण्ड) से वहन किया जावेगा।

2–इसके लिये संबंधित सभी कृषि उपज मंडी समितियां द्वारा संबंधित एजेन्सियों से ठेके पर लिये गये डाटा एंट्री ऑपरेटरो की संख्या के आधार पर, उनका पारिश्रमिक, सेवा प्रभार तथा जी.एस.टी./सी.एस.टी. आदि का भुगतान हेतु छह माह की एक मुस्त अग्रिम राशि मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की वित्त शाखा में जमा कराई जावेगी। जिसकी मण्डीयों से वसूली एवं मंडीवार लेखा, वित्त शाखा द्वारा रखा जावेगा।

3–प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियो में उल्लेखित कार्यो के कियान्वयन हेतु अनुबंधित संबंधित तीनों संस्थाओ से ठेके पर लिये गये मानव संसाधन (डाटा एंट्री ऑपरेटर) की मासिक उपस्थिति, पूर्वानुसार कृषि उपज मंडी समितियो के सचिवों द्वारा सीधे पत्र कमांक दिनॉक के माध्यम से संबंधित ऐजेन्सीयो को उपलब्ध कराई जावेगी एवं सूचनार्थ प्रतिलिपि मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालयो/मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को भेजेगी।

4– जिन मंडी समितियो को उल्लेखित कार्यो के कियान्वयन हेतु उल्लेखित श्रेणी के आधार पर अधिकतम संख्या से कम मानव संसाधन (डाटा एंट्री ऑपरेटर) रखने की आवश्यकता है तो मंडी समिति अपने स्तर पर निर्णय लेकर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर से कार्य की पूर्ति कर सकेगी एवं जिन मंडी समितियो को उल्लेखित कार्यो के कियान्वयन हेतु निर्धारित श्रेणी की संख्या के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटरो की सेवा ठेके पर लिये जाने के अलावा और अतिरिक्त डाटा ऐट्री ऑपरेटरो की आवश्यकता प्रतीत होगी वह अपनी अभिलेखीय आधार पर औचित्यता दर्शाते हुये प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल से अनुमति प्राप्त कर संबंधित अनुबंधित ऐजेन्सी से मानव संसाधन (डाटा एंट्री ऑपरेटर) की सेवा ठेके पर ले सकेगी। मंडियो से प्राप्त उक्त प्रस्ताव पर परिक्षण एवं अभिमत हेतु अपर संचालक (कार्मिक), अपर संचालक (वित्त) तथा अपर संचालक (नियमन) की समिति गठित की जाती है, जौ कि प्राप्त प्रस्ताव का परिक्षण कर प्रबंध संचालक को अनुशंसा भेजेगी।

किन्तु इसके लिए सिद्धांतः अतिरिक्त डाटाएन्ट्री ऑपरेटर की सहमति इस शर्त पर होगी कि मंडी सचिव को इस बात की पूर्ण संतुष्टि करनी होगी कि अतिरिक्त डाटाऐन्ट्री ऑपरेटर के लायक कार्य है तथा उनके द्वारा संपादित कार्य की लागबुक संधारित करनी होगी। उक्त अतिरिक्त संख्या का अनुमोदन मंडी समिति से भी कराना होगा। यदि भविष्य में या किसी भी समय यह पाया जाता है कि, रखे गये अतिरिक्त डॉटाएन्ट्री ऑपरेटर का कार्य पर्याप्त अथवा संतोषप्रद नही है तो उक्त डाटाएन्ट्री ऑपरेटर को देय राशि की वसूली, संबंधित सचिव से की जावेगी।

E:\Rajesh\Mistri\Bhawantar\E_Anugya\Paripatr.doc

—03—

5-उल्लेखित कार्यो के कियान्वयन हेतु अनुबंधित ऐजेन्सीयो से ठेके पर लिये जाने वाले मानव संसाधन (डाटा एंट्री ऑपरेटरो) की सेवा अवधि 11 माह की होगी, तत्पश्चात् उनकी सेवा हटा दी जावेगी।

6-जिन मण्डी समितियों की उल्लेखित कार्यो के कियान्वयन हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा ठैके पर लेने एवं उनके व्यय भुगतान हेतु आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं। ऐसी मण्डी समितियॉ, मण्डी समिति में प्रस्ताव पास कराकर मण्डी की आय व्यय का ब्यौरा एवं उनकी औचित्यता सहित जानकारी उपलब्ध कराते हुये इस कार्य हेतु मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की स्वीकृति, वित्त शाखा से अनुदान प्राप्ति की कार्यवाही कर सकती हैं।

7- मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालयो एवं मुख्यालय भोपाल में उपलब्ध कराये गये मैनपॉवर (डाटा एंट्री ऑपरेटर) का म.प्र.श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित उच्च कुशल दर पर पारिश्रमिक, पूर्व से नियत अनुसार सेवा प्रभार तथा नियमानुसार जी.एस.टी./सी.एस.टी. आदि का भुगतान मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल द्वारा कंन्टीजेन्शी फण्ड से वहन किया जावेगा।

8- सचिव यह सुनिश्चित करे कि उल्लेखित ठेके पर रखे गये किसी भी मैनपॉवर (डाटा एंट्री ऑपरेटर) को ओवर टाईम का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा ओवर टाईम की उपस्थिति संबंधित ऐजेन्सी को उपलब्ध नही कराई जावे।

अतः उपरोक्त उल्लेखित निर्देशो का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी-5/2/ई-अनुज्ञा/2018/पार्ट-1/1031 भोपाल, दिनांक 29/06/2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक/उप संचालक मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)
4. अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति..........................जिला.....................(समस्त)
5. लेखाधिकारी (लेखा/आडिट/पेंशन) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
6. अधिकृत ऐजेन्सी..की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे माह जुलाई 2018 से निर्धारित संख्या अनुसार ही मंडियों से डाटाएन्ट्री ऑपरेटरों की उपस्थिति प्राप्त कर अपने देयकों के साथ मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्रस्तुत करें, अतिरिक्त एवं अधिक तथा ओव्हर टाइम ड्यूटी के डाटाएन्ट्री ऑपरेटरों का पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. आदेश नस्ती/शाखा.................................(समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

29/6

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल